Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में पंजाब नेशलन बैंक का ब्रांच मैनेजर एवं लिपिक 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अक्टूबर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये विजय सिंह मीणा ब्रांच मैनेजर एवं मयंक गौड़ लिपिक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हरदास का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके मुद्रा लोन के खातों को बंद करने के बाद एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में विजय सिंह मीणा ब्रांच मैनेजर एवं मयंक गौड़ लिपिक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हरदास का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रति खाता 10 हजार रुपये के हिसाब से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक श्री शिवराज सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा आज सीकर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विजय सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश चन्द मीणा निवासी वार्ड नं0 5, लक्ष्मीनगर, कोटपूतली, जयपुर हाल ब्रांच मैनेजर एवं मयंक गौड़ पुत्र श्री उमेश कुमार गौड़ निवासी वार्ड नं0 21, संजय कॉलोनी, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ हाल लिपिक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हरदास का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।